



## प्रेस नोट

### सराहनीय कार्य, झाँसी

दिनांक- 29.04.2025

❖ जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

अवगत करना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री केशव कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम तथा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में केस सं०-14/15, अ०सं०-131/14 धारा 323/504/506 भादवि थाना टोड़ीफतेहपुर, झाँसी से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त वीरेन्द्र पुत्र बिन्दे उम्र करीब 50 वर्ष निवासी मु० खदियां कस्बा व थाना टोड़ीफतेहपुर जिला झाँसी के विरुद्ध मा० न्यायालय द्वारा निर्गत एनबीडब्लू वारण्ट आदेश के क्रम में वारण्टी अभियुक्त वीरेन्द्र उपरोक्त को आज दिनांक 29.04.2025 को थाना टोड़ीफतेहपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त/गुमशुदा का विवरण –

1. विरेन्द्र पुत्र बिन्दे उम्र करीब 50 वर्ष नि० मु० खदियां कस्बा व थाना टोड़ीफतेहपुर जिला झाँसी।

### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सत्यप्रकाश शर्मा थाना टोड़ीफतेहपुर जिला झाँसी।
2. उ०नि० अजब सिंह टोड़ीफतेहपुर झाँसी।
1. का० 33 रवि गुप्ता थाना टोड़ीफतेहपुर झाँसी।